पत्रांक — आयु0क0उत्तरा0 / विधि–अनुभाग / वाणिज्य कर / देहरादून / 2008–09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक : देहरादून 11 जून '08

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

मुख्यालय से कुछ बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया है। ये बिन्दु निम्न प्रकार है।

1– अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय बिक्री के विरूद्ध त्रैमासिक आधार पर फार्म–सी दाखिल किये जाने का प्राविधान है तथा यदि समय से फार्म–सी दाखिल नहीं किये जा रहे हैं तो कर–निर्धारण अधिकारी से समय लिये जाने का प्राविधान है। अतः यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि किसी मामले में फार्म–सी विलम्ब से दाखिल किया गया अथवा कर–निर्धारण के समय दाखिल किया जाता है तथा विलम्ब से फार्म सी दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में कोई समय भी नहीं लिया गया है, तो क्या ऐसे फार्म–सी को स्वीकार किया जाना चाहिए ? इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश न होने की दशा में सम्परीक्षा के समय कठिनाई आने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

2– कान्ट्रेक्टर के लिए जिनका टी0डी0एस0 कटता है, पंजीयन लिये जाने का प्राविधान है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे कान्ट्रेक्टर, जिनका टर्नओवर रूपये पाच लाख से कम है, के करदायित्व की स्थिति क्या होगी। क्या ऐसे कान्ट्रेक्टर्स का पंजीयन सीमा से टर्नओवर कम होने की स्थिति में स्वैच्छिक पंजीयन वाले संविदाकारों की भॉति कर–निर्धारण होगा। इसके अतिरिक्त जो कान्ट्रेक्टर पंजीकृत नहीं है, उनका नियमित कर–निर्धारण होगा अथवा नहीं ?

3– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 में दी गई अनुसूची–V के किसी व्यक्ति / संगठन द्वारा राज्य के किसी पंजीकृत व्यापारी से कर अदा कर कोई वस्तु खरीदी जाती है, एवं धारा–4 की उपधारा (2) के खण्ड (c) के प्राविधानों के अन्तर्गत रिफन्ड मांगा जाता है, तो रिफन्ड की कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा की जानी है।

4– यदि रिफन्ड payable at Delhi or any other State में मांगा जाए तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी।

इन बिन्दुओं पर मुख्यालय का मत निम्न प्रकार है :–

1– केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम–12 के उपनियम (7) में निम्न प्राविधान किया गया है।

The declaration in Form C or Form F or the certificate in Form E-I or E-II shall be furnished to the prescribed authority within three months after the end of the period to which the declaration or the certificate relates :

Provided that if the prescribed authority is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate within the aforesaid time, that authority may allow such declaration or certificate to be furnished within such further time as that authority may permit.

इसके अतिरिक्त नियमों में अन्य कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त समय सीमा व्यतीत होने या समय दिये जाने पर दिये गए समय के बाद दाखिल फार्म 'सी' 'एफ' 'ई–1' या 'ई–2' को स्वीकार कर सके। अतः विलम्ब से दाखिल फार्म 'सी' 'एफ' 'ई–1' या 'ई–2' को कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिये।

2– संविदाकार के लिए आई0टी0सी0 के सम्बन्ध में वैट अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (8) के खण्ड (ट) में निम्न प्राविधान किया गया है :–

(8) पूँजीगत माल से भिन्न माल क्रय की निम्न दशाओं में इन्पुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा :–
(ट) माल, जो किसी साकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप) में सम्पत्ति के अन्तरण के द्वारा विक्रय किया गया है :–
वैट अधिनियम की धारा–3, जो 'कर–भार' से सम्बन्धित है, की उपधारा (9) के खण्ड (ग) में निम्न प्राविधान है :–
(ग) सकर्म संविदा के मामले में विक्रय आवर्त में ऐसी धनराशि या जो विहित की जाएं और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जो अधिरोपित की जाएं।

संविदाकार की करयोग्य टर्नओवर निर्धारित करने के लिए वैट नियम–14 में प्राविधान किया गया है। इस नियम में स्पष्ट है कि यदि संविदाकार द्वारा किसी वस्तु पर कर अदा किया जा चुका है तो वह टर्नओवर का भाग नहीं होगी।

उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि संविदाकारों के ऐसे मामले, जो अविभाज्य संविदा (Indivisible Contract) से सम्बन्धित है, कर के दायित्व की गणना उसी प्रकार से होगी जैसे व्यापार कर अधिनियम में होती थी। वैट अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक होते हुए भी, कर आरोपित किये जाने में कुल विक्रय धन की सीमा की धारा-3(7) के दृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक है। जहां तक संविदाकार के पंजीकृत न होने का प्रश्न है, वैट अधिनियम की धारा-15(2) के अनुसार यदि कोई व्यापारी "धारा-35 के उपबन्धों के अधीन श्रोत पर कर कटौती के अध्यधीन है" के लिए पंजीयन लिया जाना अनिवार्य है, किन्तु फिर भी यदि कोई संविदाकार अपंजीकृत है, तो वैट अधिनियम/नियम में उनका कर निर्धारण किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

3- चूँकि अनुसूची-V में संगठन के साथ व्यक्ति भी शामिल है, अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर निर्धारण अधिकारी नियुक्त करना अव्यवहारिक होगा। इसके अतिरिक्त रिफन्ड दिये जाने में प्रस्तुत बिलों की जाँच की आवश्यकता हो सकती है, जो उस दशा में सरलता से हो सकता है, यदि रिफन्ड उसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया जाए जहां विक्रेता व्यापारी पंजीकृत है। किसी अन्य अधिकारी द्वारा रिफन्ड दिये जाने में सत्यापन कराए जाने पर अनावश्यक रूप से समय नष्ट हो सकता है एवं रिफन्ड देने में विलम्ब हो सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि अनुसूची-V में दिये गए व्यक्तियों/संगठनों को उसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिफन्ड दिया जाएगा, जिसके अधिकारक्षेत्र में विक्रेता व्यापारी पंजीकृत है।

4- रिफन्ड वाउचर राज्य में स्थित राजकीय कोषागार से सम्बन्धित डाक्यूमेन्ट है। अतः यह payable at Delhi or any other State नहीं हो सकता है।

5- वैट अधिनियम/नियम में ऐसे व्यापारी जिनके वादों का निरतारण वैट धारा-25(3) के अन्तर्गत स्वतः निरतारित (Self assessed) होना है, के सम्बन्ध में पत्रावली आदेश फलक पर अंकित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि स्वतः निरतारित वादों में "स्वतः निरतारित" की मोहर बनवाकर आदेश फलक पर लगा दी जाएगी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मोहर के नीचे हस्ताक्षर किये जायेंगे।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(एल0एम0 पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

820
पृ0प0सं0 दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/प्रर्वतन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन/उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6 ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

9– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी ।

10– श्री सी0एस0बनजी, वाणिज्य कर अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

15– निधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

11/6/2008
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

11-06-2008 [illegible]